



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा/आठवीं बोर्ड परीक्षा 2017 के नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन भरने बाबत निर्देश

सत्रांक योजना के अन्तर्गत बोर्ड की उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/आठवीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का निर्धारण पृष्ठ संख्या 03 से 06 के अनुसार किया जावे। आपके विद्यालय के जिन नियमित परीक्षार्थियों ने उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा/आठवीं बोर्ड परीक्षा-2017 हेतु परीक्षा आवेदन-पत्र भरा है उनके सत्रांक आपको ऑनलाईन भरे जाने हैं, बोर्ड द्वारा पृथक से OMR शीट्स नहीं भिजवाई जावेगी। सभी विद्यालयों को सत्रांक ऑनलाईन प्रेषित करने हैं। विद्यालय अपना विद्यालय कोड व ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दिया गया पासवर्ड डालकर परीक्षार्थियों के नामांक के सम्मुख उनके विषयवार सत्रांक भरेंगे। पासवर्ड भूल जाने पर बोर्ड की आई.टी.शाखा में विद्यालय कोड व शाला प्रधान का मोबाइल नम्बर नोट करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

अंकसूचियाँ / ऑनलाईन सत्रांक भेजने से पूर्व की प्रक्रिया :-

1. प्रत्येक विषय व प्रश्न पत्र की तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ सम्बन्धित परीक्षार्थी को दिखाई जाकर उनकी आपत्ति का निराकरण कर लिया जाए।
2. विद्यालयी परीक्षा की अंकसूचियों में प्रदत्त नामांक व बोर्ड द्वारा छात्र को प्रदत्त नामांक, नाम अनुसार अंक मूल अंक सूची में शुद्धता से अंकित किये जाये। गत वर्षों में देखने में आया है कि एक ही नाम के दो छात्र होने पर उनके "अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंक एक दूसरे के परस्पर बदल कर लिख दिए गये। अतः कृपया इसका विशेष ध्यान रखें, ऐसी त्रुटि होने से छात्रों का नुकसान होता है तथा परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होता है।
3. अंक योजना पृष्ठ 03 से 06 के अनुसार विभाजित सत्रांकों को जोड़कर छात्र द्वारा कुल अर्जित सत्रांक ऑनलाईन भिजवाने हैं अर्थात् सत्रांकों का उपविभाजन प्रदर्शित नहीं करना है। बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये यदि पूर्णांक क्रमशः 100, 70, 50, 30 निर्धारित हैं तो इसमें से 20, 14, 10, 6 अंक सत्रांक तथा शेष 80, 56, 40, 24 अंक बोर्ड परीक्षा के लिये हैं। उदाहरण के लिये पूर्णांक 100 वाले विषय में कुल 20 सत्रांक हेतु निर्धारित होंगे जिन्हें विभाजित करने पर 10 अंक तीन सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के अनुपात में, 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए तथा 5 अंक विद्यार्थी की उपस्थिति एवं सदृव्यवहार के आधार पर देय होंगे। यदि किसी छात्र को अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा तीनों परख में मिलाकर 10 में से 8 अंक, प्रोजेक्ट के लिए 5 में से 4 अंक तथा उपस्थिति एवं सदृव्यवहार के लिए 5 में से 3 अंक मिलते हैं तो इस छात्र के $8+4+3=15$ अंक (सत्रांक) प्रेषित किये जायेंगे। यदि विभाजित सत्रांकों का जोड़ भिन्न में प्राप्त हो तो उन्हें अगले अंक तक राउण्ड करके लिखें यथा $14\frac{1}{4}$, $14\frac{1}{2}$ या $14\frac{3}{4}$ के स्थान पर 15 अंक भेजें।
4. प्रक्रिया सं. 3 की जाँच दो शिक्षकों द्वारा कराई जाने के बाद ऑनलाईन सत्रांक भरें।
5. ऑनलाईन सत्रांक भरने के पश्चात् इसका अप्रूब्ड प्रिन्ट निकालकर प्रधानाचार्य अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसे बोर्ड को नहीं भिजवाना है।

6. अंकों की प्रविष्टि करने से पूर्व सम्बन्धित विवरणिका में अंकित योजना व पूर्णांकों एवं न्यूनतम उत्तीर्णांकों की सूची को कृपया पुनः ध्यान से देखें तथा आश्वस्त हो लें कि अंक उस विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये निर्धारित पूर्णांकों में से ही दिये गये हैं।
7. जिस शिक्षण संस्था से परीक्षार्थी का आवेदन पत्र परीक्षा में बैठने हेतु अग्रेषित किया गया है, उसके प्रधान ही उसके सभी अंक भेजने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। अतः यदि आपके यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी जो कि राजस्थान के किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने के बाद आपके यहाँ अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट हुआ हो और परीक्षार्थी अपनी पूर्व शाला के आधार पर बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत है तो कृपया आप उसकी अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद आयोजित सामयिक परख के अंक, यदि छात्र ने प्रोजेक्ट कार्य आपके विद्यालय में प्रस्तुत किया हो तो प्रोजेक्ट कार्य के अंक तथा आपके विद्यालय में रही छात्र की उपस्थिति एवं व्यवहार पर आधारित अंक सादे कागज पर दो प्रतियों में बनाकर रजिस्टर्ड डाक से पूर्व विद्यालय को जहाँ से छात्र स्थानान्तरित होकर आया है, भेज दें। जिससे समय से पहले ही उस संस्था के प्रधान को अंक प्राप्त हो जाये। इस प्रकार अंक प्राप्त करने वाले छात्र की पूर्व शाला के प्रधान द्वारा उनके विद्यालय में दी गई सामयिक परख तथा उपस्थिति एवं व्यवहार आधारित अंकों तथा छात्र के वर्तमान विद्यालय से प्राप्त अंकों को मिलाकर आनुपातिक रूप से नियमानुसार सत्रांक तैयार कर ऑनलाईन भरें जायेंगे। इसी प्रकार आपकी शाला से परीक्षार्थी आवेदन-पत्र अग्रेषित हो जाने के उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य विद्यालय में चला गया हो किन्तु उसका आवेदन-पत्र आपके विद्यालय द्वारा अग्रेषित है तो उसके प्राप्तांक वहाँ से मंगवाकर इसी रीति से ऑनलाईन भरें।
8. किसी भी अवस्था में ऑनलाईन अंकसूची में किसी नामांक के लिये कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाए। यदि छात्र ने किसी विषय विशेष/तृतीय भाषा में स्वअध्ययन किया है तो उस विषय के कॉलम में ऑनलाईन भरते समय NOT APPLICABLE लिखा जावे। शाला से नाम पृथक (NSO) एवं उपस्थिति न्यूनता के कारण बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने से रोके गये (DETAIN) परीक्षार्थियों के ऑनलाईन सत्रांक प्रेषण के समय सभी विषयों एवं राजस्थान अध्ययन में अनुपस्थित (ABSENT) दर्ज करना है। NOT APPLICABLE केवल विषय परिवर्तन/स्वअध्ययन की स्थिति में ही दर्ज करना है। ऐसे विषय के सत्रांक/स्वअध्ययन की सूचना पृथक से पत्र द्वारा प्रमाणित कर बोर्ड को सूचित करनी है। इसके अभाव में परीक्षार्थी का परिणाम रोक लिया जायेगा।
9. नियमित छात्र के रूप में गत वर्षों में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहे अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे छात्र यदि पुनः नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट हो रहे हों तो कृपया उनके सत्रांक भी उपरोक्त योजनानुसार ही भेजें।
10. सत्रांक को ऑन लाईन भरने की निर्धारित अवधि (1माह) होगी इस अवधि में समस्त शाला प्रधान को उपरोक्त सभी बोर्ड परीक्षाओं के नियमित परीक्षार्थी के सत्रांक ऑन लाईन अनिवार्यतः भरने हैं यदि शाला प्रधान इस कार्य में लापरवाही अथवा विलम्ब करता है तो उसे समय अवधि पश्चात् आगामी 07 दिन विलम्ब शुल्क रु. 500/- प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक समकक्ष) ई-मित्र पर जमा करने पर सत्रांक ऑन लाईन भरने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके पश्चात् भी यदि सत्रांक नहीं भरे जाते हैं तो आगामी 07 दिवस दुगुने विलम्ब शुल्क रु.1000/- प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा ई-मित्र पर जमा करने पर सत्रांक ऑन लाईन भरने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
11. ऑन लाईन सत्रांक भरते समय त्रुटि सुधार हेतु एक अवसर तत्समय उपलब्ध रहेगा। यदि सत्रांक भरने के पश्चात् कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार के लिये 14...दिन का समय निर्धारित होगा। इस अवधि में निर्धारित शुल्क रु. 100/- प्रति विषय प्रति परीक्षार्थी जमा कराकर शाला प्रधान ऑन लाईन संशोधन कर सकेंगे। किसी भी रूप में ऑफ लाईन संशोधन स्वीकार नहीं होंगे।

उच्च माध्यमिक / वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिये सत्रांक योजना

- (1) बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100, 70, 50 या 30 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक क्रमशः 20, 14, 10 या 6 निर्धारित होंगे।
- (2) (अ) ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा का आयोजन होता है और प्रायोगिक कार्य नहीं किया जाता उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20 प्रतिशत होंगे जिनके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, 5% प्रोजेक्ट कार्य, 5% उपस्थिति एवं व्यवहार के होंगे।
- (i) 3% अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-
 75% से 80 % तक उपस्थित होने पर 1 अंक
 81% से 85 % तक उपस्थित होने पर 2 अंक
 86% से 100% तक उपस्थित होने पर 3 अंक
 - (ii) 2 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।
- (ब) संगीत एवं चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20 प्रतिशत होंगे जिनके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, शेष अंक प्रोजेक्ट कार्य, उपस्थिति एवं व्यवहार के नियमानुसार विभाजित होंगे।
- (i) 3% अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-
 75% से 80% तक उपस्थित होने पर 1 अंक
 81% से 85% तक उपस्थित होने पर 2 अंक
 86% से 100% तक उपस्थित होने पर 3 अंक
 - (ii) 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित होंगे।
 - (iii) 1 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।
- (स) संगीत और चित्रकला विषयों में सत्रांक विभाजन नियमानुसार होगा :-
 लिखित परीक्षा के 20% होंगे जिनके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, शेष अंक उपस्थिति एवं व्यवहार के नियमानुसार देय होंगे।
- 1.5 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति होने पर नियमानुसार दिए जा सकेंगे।
- 75% से 80% तक उपस्थित होने पर 0.5 अंक
 - 81% से 85% तक उपस्थित होने पर 1.0 अंक
 - 86% से 100% तक उपस्थित होने पर 1.5 अंक
- 1.5 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे। उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक देय नहीं होंगे।
- (3) उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में नियमित रूप से प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिये समाज सेवा योजना एवं राजस्थान अध्ययन अनिवार्य विषय हैं। इन दोनों विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। समाज सेवा योजना विषय के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा प्राप्तांकों को निम्न सारणी अनुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ग्रेड भरनी है। राजस्थान अध्ययन विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर कर परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंकों को ऑनलाईन भरा जायेगा। उल्लेख है कि राजस्थान अध्ययन में सैद्धान्तिक परीक्षा तथा प्रोजेक्ट कार्य ही कराये जाने के निर्देश हैं अतः दोनों के योग के आधार पर अर्जित अंक यथावत ऑनलाईन भरें।

समाज सेवा योजना - विषय कोड - 78

प्राप्तांक	ग्रेड
80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	ए (A) ग्रेड
60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक	बी (B) ग्रेड
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	सी (C) ग्रेड
50 प्रतिशत से नीचे	डी (D) ग्रेड

समाज सेवा योजना की ग्रेडिंग एवं राजस्थान अध्ययन विषय के अर्जित अंकों को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरें अन्यथा छात्र का परिणाम रोक दिया जायेगा। राजस्थान अध्ययन में न्यूनतम अंक 33 प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक परीक्षा के समय राजस्थान अध्यायन में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर अंक भिजवाये जाने हैं।

- (4) वाणिज्य वर्ग के विषय कोड 32 - हिन्दी शीघ्र लिपि 33 - अंग्रेजी शीघ्र लिपि तथा 34 व 35 टंकण लिपि हिन्दी व अंग्रेजी में सत्रांक विषयवार निर्धारित नहीं हैं अपितु इन्हें प्रश्नपत्रवार अलग-अलग भेजना है जिसके लिए सत्रांक कोड निम्नानुसार हैं :-

(1) हिन्दी शीघ्रलिपि	- पेपर कोड 32/3
(2) हिन्दी टंकणलिपि	- पेपर कोड 34/3
(3) अंग्रेजी शीघ्रलिपि	- पेपर कोड 33/3
(4) अंग्रेजी टंकणलिपि	- पेपर कोड 35/3
(5) टंकण लिपि हिन्दी	- पेपर कोड 34/3
(6) टंकण लिपि अंग्रेजी	- पेपर कोड 35/3

प्रत्येक पेपर के सत्रांक के पूर्णांक 10 होंगे।

माध्यमिक / प्रवेशिका परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

- (1) बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड की परीक्षा के 100 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20 निर्धारित होंगे।
- (2) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा फाउण्डेशन ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नालोजी एवं राजस्थान अध्ययन विषयों में विद्यालय स्तर पर परीक्षा योजना अनुसार मूल्यांकन करें। इन विषयों में परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंक यथावत ऑनलाईन भरें जो अधिकतम 100 हो सकते हैं। राजस्थान अध्ययन में न्यूनतम अंक 33 प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक परीक्षा के समय राजस्थान अध्यायन में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर अंक भिजवाये जाने हैं।
- (3) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा विषयों में सतत मूल्यांकन के आधार पर ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग का निर्धारण बिन्दु संख्या -6 के अनुसार करें। राजस्थान अध्ययन विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर कर परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंकों को यथावत ऑनलाईन बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा।
- (4) नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-
- (i) 10 प्रतिशत सत्रांक - तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के अनुपात में देय होंगे।
 - (ii) 5 प्रतिशत सत्रांक - प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर देय होंगे।
 - (iii) 5 प्रतिशत सत्रांक - विद्यार्थी की उपस्थिति एवं सदव्यवहार के आधार पर देय होंगे।
- उक्तानुसार अंकों का उपविभाजन क्रमशः स्थानीय लिखित परीक्षा के 10 अंकों, प्रोजेक्ट कार्य 5 अंक उपस्थिति 3 अंक तथा सदव्यवहार 2 अंक देय है

(5) तालिका :-

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक
1.	01	हिन्दी	100	20
2.	02	अंग्रेजी	100	20
3.	07	विज्ञान	100	20
4.	08	सामाजिक विज्ञान	100	20
5.	09	गणित	100	20
6.	71	संस्कृत	100	20
7.	72	उर्दू	100	20
8.	73	ગुजરाती	100	20
9.	74	सिन्धी	100	20
10.	75	पंजाबी	100	20
11.	79	राजस्थान अध्ययन	100	100
12.	80	फाउण्डेशन ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नालॉजी	100	100
13.	82	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	100	100
14.	81	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)	प्रक्रिया बिन्दु 6 के अनुसार ग्रेडिंग देनी है।	{ सैद्धान्तिक लिखित परीक्षा 80 अंक तथा प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक = कुल 100 अंक कुल अंकों का 20 % नहीं निकाले (पूरे प्राप्तांक दर्शाने हैं)
15.	83	कला शिक्षा		
16.	95	संस्कृत (विशेष)	100	20(केवल प्रवेशिका परीक्षा के लिये)

(6) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा कला शिक्षा विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इन विषयों के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ऑनलाईन ग्रेड अंकित की जायेगी।

अंकों का प्रतिशत	ग्रेड
81 से 100 प्रतिशत तक	ए(A) ग्रेड
61 से 80 प्रतिशत तक	बी(B) ग्रेड
41 से 60 प्रतिशत तक	सी(C) ग्रेड
21 से 40 प्रतिशत तक	डी(D) ग्रेड
20 प्रतिशत से नीचे	ई (E) ग्रेड

व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय लेवल-2 (कक्षा-10) में जिन परीक्षार्थियों ने अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड विषय का चयन किया है तो उनकी सैद्धान्तिक परीक्षा के अलावा 20 अंक सत्रांक की व्यवस्था है जिनके विषय निम्नानुसार हैं :—

लेवल-2 (कक्षा-10) व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय की परीक्षा योजना :-

केवल चयनित विद्यालयों में लागू

क्र.सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	ऑटो मोबाइल	100	20
2.	102	सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य	100	20
3.	103	स्वास्थ्य देखभाल	100	20
4.	104	सूचना प्रौद्योगिकी	100	20
5.	105	निजी सुरक्षा	100	20
6.	106	रिटेल	100	20
7.	107	ट्रेवल एवं टूरिज्म	100	20

नोट:-

- सैद्धान्तिक परीक्षा-30 अंक (सत्रांक रहित), सैद्धान्तिक परीक्षा-50 अंक (सत्रांक सहित) तथा प्रायोगिक परीक्षा-50 अंक में पृथक-पृथक उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
- सत्रांक के 20 अंक का विभाजन-10 अंक स्थानीय, 05 अंक प्रोजेक्ट, 03 अंक उपस्थिति और 02 अंक सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन के देय होगे।
- कक्षा-9 व 11 की वार्षिक (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) परीक्षाएँ विद्यालय स्तर से ही आयोजित की जायेगी तथा परीक्षा परिणाम भी विद्यालय स्तर से जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रेषित परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक की दो सूची तैयार करेगे। एक सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा दूसरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेगे।
- विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम अपलोड करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी सम्बन्धित विद्यालयों के लिंक खोले जायेगे जिससे विद्यालय अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विषय के सत्रांक, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक आदि अपलोड करेगे जिसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सम्पर्क कर प्रत्येक लेवल उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किये जायेगे।

आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिये सत्रांक योजना

आठवीं बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले परीक्षार्थियों के सत्रांक विद्यालयों को ऑनलाइन भरने होंगे। इसके लिए अंक योजना एवं विषय निम्नानुसार है। अंक भरने से पूर्व ओ.एम.आर. में पूर्णांक अवश्य देख लेवें तथा उसी अनुसार अंक भरें। इसकी प्रमाणित अपुष्ट प्रति संबंधित जिले की डाईट को प्रेषित करनी है। बोर्ड को नहीं भिजवावें।

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक
1.	01	हिन्दी	100	20
2.	02	अंग्रेजी	100	20
3.	07	विज्ञान	100	20
4.	08	सामाजिक विज्ञान	100	20
5.	09	गणित	100	20
6.	71	संस्कृत	100	20
7.	72	उर्दू	100	20
8.	73	गुजराती	100	20
9.	74	सिन्धी	100	20
10.	75	पंजाबी	100	20
11.	81	कार्यानुभव	100	100 में से प्राप्तांक भिजवाने हैं।
12.	82	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	100	100 में से प्राप्तांक भिजवाने हैं।
13.	83	कला शिक्षा	100	100 में से प्राप्तांक भिजवाने हैं।
14.	95	संस्कृत शिक्षा	100	20

- विद्यार्थी को 20 प्रतिशत आंतरिक एवं 80 प्रतिशत बाह्य परीक्षा के आधार पर मूल्यांकित कर ग्रेड दी जाएगी।
- विद्यार्थी को 5 पाईंट स्केल के आधार पर विषयवार निम्नानुसार ग्रेड का श्रेणीकरण किया जाएगा।

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक निर्धारण	91–100	76–90	61–75	41–60	0–40

- कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्य एवं गतिविधियों के आधार पर 100 में से अंक भिजवाने हैं। जिनसे उक्त 5 पाईंट स्केल के आधार पर ग्रेड दी जाएगी।

शाला प्रधानों हेतु विशेष अनुदेश :-

- सत्रांक ऑनलाईन निर्धारित अवधि में भरने के पश्चात् उसकी प्रमाणित प्रति बाबत् निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–
 - (अ) बोर्ड परीक्षाओं (उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक शिक्षा) के सत्रांक की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है इसे शाला प्रधान अपने पास सुरक्षित रखे। बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।
 - (ब) आठवीं बोर्ड के सत्रांक की हार्ड कॉपी गत वर्ष के अनुसार सम्बन्धित जिले के डाईट को भिजवानी है। बोर्ड को कदापि नहीं भेजे।
- सत्रांक के अभाव में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम बिना किसी पूर्व सूचना के रोक दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
- सत्रांकों में यदि कोई त्रुटि बाद में पाई गई तो शाला प्रधान इस हेतु व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। इस हेतु उचित होगा कि आप सभी विषयाध्यापकों को एक साथ प्रशिक्षण देकर सादे कागज पर सत्रांक तैयार करवावें ताकि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होवे।
- आप द्वारा ऑनलाईन सत्रांक भरने के उपरान्त उनमें रही त्रुटि में सुधार हेतु प्रक्रिया बिन्दु 11 में निर्धारित है। इसके उपरान्त भी संशोधन हेतु सूचना प्राप्त हुई तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/निदेशक (संस्कृत शिक्षा) जयपुर को भी लिखा जावेगा एवं विभाग द्वारा दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्ति को बोर्ड के सभी पारित्रिमिक कार्यों से भी वंचित कर दिया जावेगा।
- परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त सत्रांक व ग्रेडिंग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टि में आये तो परीक्षार्थी के हित में सत्रांक व ग्रेडिंग में संशोधन पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इस हेतु संशोधन कराने के लिए आवेदन की तिथियाँ व शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैं –
 - (i) प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रु. 200/- सामान्य शुल्क सहित सत्रांक अथवा ग्रेड संशोधन के प्रकरण स्वीकार करने की अंतिम तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि से दो माह में।
 - (ii) उक्त बिन्दु-01 की तिथि विगत होने के पश्चात् प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रु. 200/- एवं रु. 200/- अतिरिक्त विलंब शुल्क सहित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन माह में।
 - (iii) उक्त तिथियों के बाद किसी भी स्थिति में सत्रांक संशोधन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संशोधन हेतु शुल्क नकद राशि सहित तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की मूल अंकसूचियाँ व मूल उत्तर पुस्तकें प्रोजेक्ट कार्य फाईल, त्रुटि के सम्बन्ध में शाला प्रधान का स्पष्टीकरण, छात्र की बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल अंकतालिका, विद्यालयी परीक्षाओं हेतु आवंटित नामांक रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर आदि मूल प्रलेख सहित प्रकरण शाला प्रतिनिधि द्वारा सीधे बोर्ड की गोपनीय शाखा में प्रस्तुत किये जाने पर आवश्यक सत्यापन के बाद ही अपेक्षित संशोधन करना सम्भव हो पायेगा। बोर्ड द्वारा शाला प्रतिनिधि को कोई यात्रा/दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6. सत्रांकों से संबंधित अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जाँच की जा सकती है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, शिक्षा विभाग प3 (3) शिक्षा-6/08 दिनांक 19.11.08 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर मानेटरिंग की जायेगी तथा मा.शि.बो. अजमेर द्वारा Random Sampling के आधार पर जाँचकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सम्पर्क सूत्र (कार्यालय समय) कार्य दिवस हेतु

- (अ) बोर्ड परीक्षाओं/योजना आदि की जानकारी के लिये कार्यालय समय में दूरभाष संख्या—0145—2620739
- (ब) कम्प्यूटर/ऑनलाईन/तकनीकि जानकारी हेतु आई.टी.शाखा के दूरभाष संख्या— 0145—2627454
- (स) आठवीं बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी हेतु सम्बन्धित जिले की डाईट से सम्पर्क करें।

विशेष सूचना

ऑन लाईन प्रेषित सत्रांकों की हार्ड कॉपी बाबत :—

- (अ) बोर्ड परीक्षाओं (उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक शिक्षा) के सत्रांक की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है इसे शाला प्रधान अपने पास सुरक्षित रखे। बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।
- (ब) आठवीं बोर्ड के सत्रांक की हार्ड कॉपी गत वर्ष के अनुसार सम्बन्धित जिले के डाईट को भिजवानी है। बोर्ड को कदापि नहीं भेजे।

(जी.के.माथुर)
निदेशक (गोपनीय)